

फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाना

प्रलिस के लिये:

फार्मास्युटिकल उद्योग योजना का सुदृढ़ीकरण, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री।

मेन्स के लिये:

भारतीय दवा उद्योग, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

चर्चा में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने **MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)** की रणनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए 'फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाने' (SPI) के लिये योजनाएँ शुरू की हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- यह योजना फार्मास्युटिकल क्षेत्र में MSME इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिफ्ट पूंजी और ब्याज सबसिडी के साथ-साथ **फार्मा क्लस्टर में रिसर्च सेंटर, टेस्टिंग लैब और ETP (इंफ्लुएंटा ट्रीटमेंट प्लांट)** सहित सामान्य सुविधाओं के लिये 20 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करती है।
- MSME इकाई के पास पूंजीगत सबसिडी या इंटरैस्ट छूट में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
 - SIDBI (लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया)** इस योजना को लागू करने के लिये परियोजना प्रबंधन सलाहकार है।

घटक:

- फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS):**
 - यह फार्मास्युटिकल क्षेत्र में **MSME** को उनकी तकनीक को उन्नत करने के लिये सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ सुविधा प्रदान करेगा।
 - इसमें तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% की पूंजीगत सबसिडी या शेष राशि को कम करने पर 5% तक ब्याज में छूट (**SC/ST** के स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में 6%) का प्रावधान है।
- सामान्य सुविधाओं हेतु फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF):**
 - यह नरितर विकास के लिये मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टर की क्षमता को मजबूत करेगा।
 - यह स्वीकृत परियोजना लागत का 70% या 20 करोड़ रुपए, (जो भी कम हो) तक की सहायता प्रदान करता है।
 - हिमालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मामले में सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90% (जो भी कम हो) होगा।
- फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डेवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (PMPDS):**
 - इसमें भारतीय फार्मा और चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिये महत्त्व के वर्षों पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना शामिल होगा।
 - इस योजना का उद्देश्य फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों का डेटाबेस बनाना है।

उद्देश्य:

- गुणवत्ता और मूल्य दोनों में और अधिक प्रतिसिपर्द्धी बनाते हुए दवा उद्योग में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना तथा भारतीय फार्मा एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर **वैश्विक आपूर्ति शृंखला** का हिससा बनाना है।

महत्त्व:

- यह मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा और भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाएगा।
- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टर का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।
- यह योजना देश भर में फार्मा उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता एवं स्थिरता में सुधार

के लिये आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी।

- यह योजना नविश बढ़ाएगी, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी तथा उद्योग को भविष्य के उत्पादों और वचारों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

फार्मा सेक्टर से संबंधित योजनाएँ:

■ बलक ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना:

- सरकार का लक्ष्य देश में थोक दवाओं और उनके निर्माण लागत के लिये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने हेतु राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में **3 मेगा बलक ड्रग पार्क** विकसित करना है।
- यह योजना दवाओं की निरंतर आपूर्तिके साथ-साथ नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी मदद करेगी।

■ उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना:

- पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में **क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटेरियल्स (KSMs)/ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs)** के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत सरकार दवा के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (250 शब्द) [2015]

स्रोत : पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/strengthening-pharmaceuticals-industry>

